



पीएमईजीपी के तहत ऋणों को मंजूरी देने में विलंब कम करने हेतु किए गए उपाय

Posted On: 20 DEC 2017 8:20PM by PIB Delhi

पीएमईजीपी योजना के तहत ऋणों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में विलंब कम करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- आवेदन प्रवाह और निधि प्रवाह की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने तथा पारदर्शिता लाने और बेहतर प्रबंधन के लिए, एक ऑनलाइन पीएमईजीपी ई-पोर्टल शुरू किया गया है। समस्त आवेदनों और निधि प्रवाह को निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन प्रोसेस किया जाएगा।
- ईडीपी प्रशिक्षण शीघ्र पूरा किए जाने के लिए, प्रशिक्षण विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों तथा आरएसईटीआई/आरयूडीएसईटीआई के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। केवीआईसी और आरएसईटीआई के राष्ट्रीय उद्यमशीलता केंद्र (एनएसीआईआर) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है।
- हेल्प डेस्क स्थापित कर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदेश दिए गए हैं।
- बैंको से संबंधित पीएमईजीपी ऑनलाइन प्रणाली में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में उनके मुख्यालय में नोडल अधिकारी नामित किए जा रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में पीएमईजीपी के तहत सृजित जॉब्स की संख्या नीचे दर्शाई गई है :

वर्ष	सृजित रोजगार
2014-15	3,57,502
2015-16	3,23,362
2016-17	4,07,840
2017-18 (30.11.2017 तक)	1,83,344

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष (30.11.2017 तक) में पूर्वोत्तर भारत के लिए पीएमईजीपी के तहत जारी की गई मार्जिन धन सब्सिडी, स्थापित इकाइयों की संख्या और सृजित आकलित रोजगार की कुल संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30.11.2017 तक) के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमईजीपी का निष्पादन

क्र. सं.	वर्ष	मार्जिन धन आवंटन (रुपए लाख में)	उपयोग की गई मार्जिन धन सब्सिडी# (रुपए लाख में)	समर्थित इकाइयां (सं.)	सृजित आकलित रोजगार (सं.)	आकलित ऋण प्रवाह (रुपए लाख में)
1	2014-15	13904.00	12027.64	9005	38445	32474.63
2	2015-16	14432.95	8729.80	7315	36491	23570.46
3	2016-17	12700.00	14191.40	11690	73878	38316.78
4	2017-18*	13465.00	5024.94	3251	26008	13734.62
	कुल	54501.95	39973.78	31261	174822	108096.49

पिछले वर्ष की उपयोग नहीं की गई निधियों सहित

* 30.11.2017 तक

यह प्रेस विज्ञप्ति राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्री गिरीराज सिंह द्वारा दिनांक 20.12.2017 (बुधवार) को राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर है।

